सं0-563

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

अभिलेख उपस्थापित।

1-23 बाबूलाल राम पिता स्व0 सहदेव राम, निवास स्थान ग्राम-जोको, थाना-केरेडारी, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-केरेडारी, मौजा-जोको, थाना नं0-72, खाता संख्या-125, प्लॉट संख्या-360, रकवा 0.0430 एकड़ (4.30 डिसमिल) (चार दशमलव तीन शून्य डिसमिल) भूमि चमेली देवी पति परमेश्वर राम, निवास स्थान ग्राम-जोको, थाना-केरेडारी, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र की छायाप्रति एवं भूमि संबंधी अन्य कागजात संलग्न करते हुए ऑनलाईन आवेदन Acknowledgement No.-RCMSON22027549 समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-636/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 3399/रा0 दिनांक 08.09.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, केरेडारी को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, केरेडारी के पत्रांक 625 दिनांक 20.12.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन, ट्रेस नक्शा एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, केरेडारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -

विक्रेता एवं क्रेता दोनों कहार जाति के अन्तर्गत आते हैं एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। भूमि खतियान से हासिल है। भूमि रैयती खाते की है। खतियानी हरदयाल कहार वो भगल कहार है। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 4.45 एकड़ भूमि है। ऑनलाईन पंजी-II के पृष्ठ संख्या-24/I पर खाता संख्या-125, 111, 92 कुल रकवा 4.45 एकड़ मिट्ठु कहार वगै0 के नाम से लगान वर्ष 2005-06 तक निर्गत् है। आवेदक के दादा भगलू कहार वगैरह के नाम से खतियान है एवं मिट्ठु कहार वगै0 के नाम से पंजी-II के पृष्ठ संख्या-24/I पर जमाबंदी दर्ज है। आवेदक द्वारा धारित कुल रकवा 0.2472 एकड़ भूमि है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् आवेदक के पास रकवा 0.2042 एकड़ भूमि बचता विक्रेता को भूमि बिक्री करने का पूर्ण अधिकार है। प्रश्नगत् भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन विभाग की भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। BLR Act, Section-4h से मुक्त है। प्रस्तावित भूमि आवेदिका के दखल कब्जा में है।

अनुसूची-14 फारम सं0-563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी
1	2	

प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।

अंचल अधिकारी, केरेडारी द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, केरेडारी के अनुशंसा के आलोक में बाबूलाल राम पिता स्व0 सहदेव राम, निवास स्थान ग्राम-जोको, थाना-केरेडारी, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-केरेडारी, मौजा-जोको, थाना नं0-72, खाता संख्या-125, प्लॉट संख्या-360, रकवा 0.0430 एकड़ (4.30 डिसमिल) (चार दशमलव तीन शून्य डिसमिल) भूमि चमेली देवी पति परमेश्वर राम, निवास स्थान ग्राम-जोको, थाना-केरेडारी, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

20/01/23

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

20/01/23

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2023.01.20 16:28:14 +05:30
Location: 192.168.0.110